जज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम....खींवसर...

गेम्पर राम बनाम धुड़ाराम

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88 आर टी एक्ट

मु. नं.....84 .सन्..2012.

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	18-01-2017 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित। भू.अ. निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा भेड़ के ख.न. 50 रकबा 25.14 बीघा जमाबंदी ग्राम भेड संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 132 गेंपरराम पुत्र धन्नाराम 1/2 कौम भांबी सा. देह व सिवाय चक भूमि (राजस्थान सरकार) 1/2 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पूर्व में यह भूमि धुड़ाराम, धर्माराम, सुरजाराम पिता धोकलिया नाई 1/2 व गेंपरराम पुत्र धन्नाराम भांबी 1/2 हिस्सा सा. देह के नाम दर्ज थी। नामा. संख्या 1851/07.05.2014 के द्वारा धुड़ाराम धर्माराम सुरजाराम पिता धोकलिया नाई का हिस्सा 1/2 की खातेदारी निरस्त होकर सिवायचक भूमि दर्ज हो चुकी है । मौका जाचं की गई मौके पर उत्तरी तरफ का हिस्सा 1/2 वादी गेंपरराम पुत्र धन्नाराम कौम भांबी का कब्जा काश्त में पाई गई। भोश दक्षिणी हिस्सा सिवायचक भूमि है। श्रीमानजी के निर्णय अनुसार दिनांक 14.03.2016 में जारी प्राथमिक डिक्री में मौजा भेड़ के ख.न. 50 रकबा 25.14 बीघा में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी भाग प्रतिवादी धुड़ाराम धर्माराम सुरजाराम पिता धोकलिया नाई के नाम गलत घोषित की गई है। अतः प्रतिवादी के स्थान पर सिवायचक (राजस्थान सरकार) घोषित किया जाना उचित होगा। अतः वस्तुस्थिति रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है। पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। एवं वकील वादी को सुना गया और भू.अ. निरीक्षक/हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । मै उक्त रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 14.03.2016 को जारी प्राथमिक डिक्री पर्चा को निरस्त किया जाता है तथा फाईनल डिक्री पर्चा इस आशय का जारी किया जाता है कि :- मौजा भेड़ के खेत ख.न. 50 रकबा 25.14 बीघा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 12.17 बीघा भूमि उत्तरी तरफ वादी के बंट एवं कब्जा काश्त में घोषित की जाती है तथा उक्त खेत का दक्षिणी तरफ का 1/2 हिस्सा जो पूर्व में प्रतिवादी धुड़ाराम, धर्माराम, सुरजाराम पुत्र धोकलिया जातियान नाई निवासी भेड़ के नाम न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.03.2016 को प्राथमिक डिक्री पर्चा में घोषित किया गया था।	

Scanned by CamScanner

उसे निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी धुड़ाराम, धर्माराम, सुरजाराम पुत्र धोकलिया के स्थान पर मौजा भेड़ के खेत ख.न. 50 रकबा 25.14 बीघा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 12.17 बीघा भूमि जो दक्षिणी हिस्सा की आराजी सिवाय चक (राजस्थान सरकार) के नाम घोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। स्टाम्प डूयटी प्रस्तुत होने पर डिकी पर्चा जारी किया जावें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी भी बेंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

18.01.17

कुशल कुमार कोठारी
सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

निर्णय आज दिनांक 10.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मगर मौका रिपोर्ट आज दिनांक को प्राप्त होने पर फाईनल डिकी पर्चा आज दिनांक 18.01.2017 को जारी किया गया।

18.01.17

कुशल कुमार कोठारी
सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

Scanned by CamScanner